

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-23, दिनांक-

संख्या-01/स्था0-09-08/2024/...../आ0प्र0/बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 248 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार नचिकेता, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, बक्सर (HRMS Employee Id: 40231859) को स्वयं की शादी हेतु दिनांक-02.02.2026 से 23.02.2026 तक कुल 22 (बाईस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री नचिकेता के पक्ष में दिनांक-01.02.2026 तक कुल 63-22=41 (एकतालीस) दिनों का उपार्जित छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. श्री नचिकेता को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632 दिनांक-26.06.2015 में निहित शर्तों के अधीन उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(अविनाश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-09-08/2024/...../आ0प्र0, पटना-23, दिनांक-


प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक-PCFC/DMD/DMS/2024/0004/438(23) दिनांक-18.03.2026 के प्रसंग में/श्री कुमार नचिकेता, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-01/स्था0-09-08/2024/911...../आ0प्र0, पटना-23, दिनांक-25-03-26

प्रतिलिपि- सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव